Form No 111
फर्म अहकाम
(नियम 15)

ज अदालतः– उपखण्ड अधिकारी मुकाम.:– राजाखेडा

राजेन्द्रप्रसाद बनाम गोरीशंकर वगै0

किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र U/S 212 RTA . नम्बर......116.........सन्.......22..........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
06.10.2022	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए बाद जांच दफ्तर से पेश हुआ। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो, शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं वकील सायल को सुना गया। प्रथम दुष्टया केस एंव सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व गैरसालयान दिनांक 27.10..2022 तक के लिए जारी किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नं0 1937, 1938 स्थित ग्राम सिघांवली कलां तहसील राजाखेडा पर गैरसायलान स्वंय या अपने ऐजेन्टो के मध्याम से विवादित आराजी में कच्चा–पक्का रास्ता नहीं डालें और न ही सायल के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करे, मौके की यथास्थिति बनायें रखें। इस संबंध में उन्हे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 27.10..2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर उज्र पेश करे। तहसीलदार राजाखेडा को वास्ते तामील परवाना जारी हो। सायल के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ एक प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 39 रूल 7 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पेश जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राजाखेडा को 500/ पॉच सौ रूपेय की फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार राजाखेडा से विवादित आराजी की वर्तमान मौके की रिपोर्ट मंगाने बावत् आदेश जारी हो। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 27.10..2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा (धौलपुर)	
27/10/22	पत्रावली पेश हुई। सायल मय अधिवक्ता उप.। मूल वाद वादी के प्रार्थना पत्र पर खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र मूल वाद के खारिज होने की स्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा